अध्याय III: लेखापरीक्षा संप्रेषण, रिपोर्टिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई

3.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्प्रेषण तथा रिपोर्टिंग

लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका 2011 के पैरा 4.3 के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) प्रत्येक मामले के लिए जब एवं जैसे ही एक गलती का पता चलता है, डुप्लीकेट में आपत्ति ज्ञापन जारी करेगा। विशिष्ट माह की लेखापरीक्षा की समाप्ति, प्राप्ति लेखापरीक्षा की स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) के समान प्रपत्र में,एक आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आईएआर) बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका, 2011 का पैरा 4.5 निर्धारित करता है कि लेखापरीक्षा की समाप्ति पर लेखापरीक्षा ज्ञापन की प्रतियाँ/आईएआर अतिरिक्त/संयुक्त रेंज तथा एओ को प्रतियों के साथ प्रशासनिक सीआईटी को भेजी जानी चाहिए।

हमने रिपोर्टिंग प्रक्रिया की अनुपालना में विसंगतियां देखी जैसा कि इस अध्याय के आने वाले पैराओं में दिया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा ज्ञापन 2 से 352 दिनों के विलम्ब के साथ जारी किये गए थे।

3.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करना

लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका, 2011 के पैरा 4.3 के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा दल प्रत्येक मामले गलती का पता लगने के एक सप्ताह के भीतर डुप्लीकेट में आपत्ति ज्ञापन जारी करेंगे।

हमने 6 क्षेत्र में 489 मामलों मे देखा, जैसा कि नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है, जहां आपत्ति ज्ञापन जारी करने में विलम्ब था। केरल क्षेत्र में, ज्ञापन की प्रतियां केरल में संयुक्त सीआईटी कार्यालय को जारी नहीं की गई थीं।

तालिका 3.1 आपत्ति ज्ञापन जारी करने में विलम्ब

प्र. सीसीआईटी/ सीसीआईटी-क्षेत्र	सीआईटी (लेखापरीक्षा)	मामले	विलम्ब
1. ओडिशा	भुवनेश्वर	2	180 दिन से अधिक
2. दिल्ली	दिल्ली I और II	10	2 दिनों के लिए 352 दिनों
3. गुजरात	अहमदाबाद	20	2 से 95 दिनों
4. पंजाब, हरियाणा व यूटी चंडीगढ़	चंडीगढ़	23	16 से 60 दिनों
5. कर्नाटक एवं गोवा	बेंगलुरु	384	5 से 68 दिन
6. केरल	कोच्चि	50	7 से 160 दिन
जोड़		**489**	

लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने में विलम्ब के कारण, एओज लेखापरीक्षा आपत्तियों पर समय पर कार्यवाही नहीं कर सके।

आईटीओ (एचक्यू) अहमदाबाद ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2014) कि गुजरात प्रभार में विलम्ब एओज से लेखापरीक्षा योग्य मामलों पर सूचना की प्राप्ति में विलम्ब, स्टाफ की कमी, जेसीआईटी से निवेदित सलाह की प्राप्ति में विलम्ब इत्यादि के कारण थे।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि जैसा कि संबंधित प्रभारों द्वारा सूचित किया गया है, सामान्य तौर पर आन्तरिक लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने मे कोई विलम्ब नहीं है।

तथापि, हमने कुछ सीआईओ (लेखापरीक्षा) प्रभारों में अननुपालना के उदाहरण देखे जैसा के उपरोक्त पैरा 3.2 में दर्शाया गया हैं।

प्रशासनिक सीआईटी को जारी करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट नहीं बनाई गई हैं जैसा कि लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका 2011 में निर्धारित किया गया हैं।

3.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आईएआर) जारी ना करना

लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका 2011 के पैरा 4.3 तथा 4.4 के अनुसार, लेखापरीक्षा की समाप्ति पर आईएपी प्राप्ति लेखापरीक्षा की स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) के समान प्रपत्र में आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आईएआर) तैयार करेगा। आईएआर में आन्तरिक लेखापरीक्षा से संबंधित रजिस्टरों के उचित अनुरक्षण, एओज के रजिस्टर से संदर्भित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान एवं लम्बन की जांच तथा आवधिक विवरणों के समय पर प्रस्तुतिकरण से संबंधित टिप्पणियां शामिल होनी चाहिए।

डीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वि व 2010-11 से 2013-14 के दौरान एओज को ₹ 19,61,555.52 लाख के कर प्रभाव वाली 19,579 बड़ी लेखापरीक्षा आपत्तियां तथा ₹ 81,731.48 लाख के कर प्रभाव वाली 40,384 छोटी लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जारी की गई थी यद्यपि आईटीडी के सभी सीआईटी (लेखापरीक्षा) में वित्तीय वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्ति लेखापरीक्षा एलएआर के समान कोई आईएआर नहीं बनाई गई थी तथा उनकी अनुपालना हेतु संबंधित प्रशासनिक सीआईटी को जारी नहीं की गई थीं।

अत: आन्तरिक नियंत्रणों की निगरानी तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे की कार्यवाही के संबंध में लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका 2011 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। चूंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें नहीं

बनाई जा रही हैं, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आन्तरिक लेखापरीक्षा में आन्तरिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में प्रत्येक एओ द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों/अभिलेखों की स्थिति, आवधिक विवरणों का समय पर प्रस्तुतिकरण तथा एओज के रजिस्टर के संदर्भ में लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान तथा लम्बन की जांच से संबंधित नियंत्रण मुद्दों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईएआर आपत्तियों के निपटान की निगरानी करने तथा एओंज की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उच्च अधिकारियों के लिए आधारभूत साधन का कार्य करती हैं।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा का परिणाम मामलों के आवधिक निर्धारण के आधार पर नियमित अन्तरालों पर उसी इकाई की लेखापरीक्षा होती है। मार्च के महीने में अन्तिम रूप दिये गए निर्धारण आदेशों की सामान्यतः अगले वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा की जाती है। तदनुसार, वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना व्यवहारिक नहीं है। यद्यपि, सामान्य गलतियों पर एओज द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती हैं जो वांछनीय उद्देश्य प्राप्त करती हैं।

लेखापरीक्षा का विचार है कि लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका 2011 के पैरा 4.3 तथा 4.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाना निर्धारित करते हैं जिसमें आन्तरिक लेखापरीक्षा में नियंत्रण मुद्दों पर टिप्पणी करना भी अपेक्षित है। आईटीडी द्वारा सीमाकित व्यवहारिक कठिनाईयों के मद्देनजर यह परामर्श दिया जाता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें बनाने के संबंध में लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका में प्रावधानों को उचित रूप से संशोधित किया जाए। यह परामर्श भी दिया जाता है कि रिपोर्टिंग तंत्र जिसे सीबीडीटी के अनुसार व्यवहारिक माना गया है, को निर्धारण की गुणवत्ता पर समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ किया जा सकता है।

3.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्ति पर अनुवर्ती कार्रवाई

लेखापरीक्षा नियमावाली 2011 के पैरा 4.5 के अनुसार, आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा के एक सप्ताह के अनदर जारी करनी होती है। आईएआर/लेखापरीक्षा ज्ञापन की प्राप्ति पर, एओ को नियमावली के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय लेना होता था लेखापरीक्षा नियमावली 2011 के पैरा 5.5 के अनुसार सभी आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उपचारी कार्रवाई लेखापरीक्षा आपत्ति ज्ञापन की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर प्रारंभ की जानी चाहिए। कार्रवाई 3 महीने की समय

सीमा में पूरी करनी होती है। लेखापरीक्षा आपत्ति के निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा लेखापरीक्षा ज्ञापन भेजने की तिथि से 4 महीने है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा ने 6,172 मामलों में निर्धारित समय सीमा में सुधारात्मक कार्रवाई पारंभ करना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सीआईटी के साथ समन्वय के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

3.5 निर्धारण अधिकारियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करना

लेखापरीक्षा नियमावली 2011 के पैरा 5.5 के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्ति ज्ञापन की प्राप्ति के एक महीने के अन्दर सुधारात्मक कार्रवाई प्रांरभ करनी होती है। उसके अनुपालन की मानीटरिंग प्रशासनिक सीआईटी के साथ साथ सीआईटी (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में अनुरक्षित लेजर कार्डस के माध्यम से की जाती हैं।

हमने पाया कि 13 क्षेत्रों के 6,172 मामलों में आन्तरिक लेखापरीक्षा आप्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने में विलम्ब थे, जैसे कि नीचे तालिका 3.2 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, हमने आंन्ध्र प्रदेश और तेंलगाना (2,328 मामले, दिल्ली (664) पंजाब एवं यूटी चण्डीगढ़ (55 मामले), राजस्थान (181 मामले) और उत्तर प्रदेश (30 मामले) क्षेत्रों में ऐसे उदाहरण पाए जहां लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी होने के बाद भी एओ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं किए गए थे।

तालिका 3.2 सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने में विलम्ब

(₹ लाख में)

प्र. सीसीआईओ/ सीसीआईओ क्षेत्र	सीआईटी (लेखापरीक्षा)	मामले	मुद्रा मूल्य	विलम्ब की अवधि
1. आंध्र प्रदेश और तेंलगाना	हैदराबाद	2,328	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2. बिहार एवं झारखंड	पटना	38	उपलब्ध नहीं	2 महीने से 19 महीने
3. मध्य प्रदेश	भोपाल	384	9,046.62	1 दिन से 819
4. छत्तीसगढ़	भोपाल	184	उपलब्ध नहीं	दिनों
5. दिल्ली	दिल्ली I और II	31	10,596.44	4 दिन, 51 महीने, 3 दिन
6. गुजरात	अहमदाबाद	59	1,817.06	1 महीने 9 दिनों से 31 महीने के 15 दिन
7. पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़	चंडीगढ़	653	उपलब्ध नहीं	10 दिन से 1,470 दिन
8. कनार्टक और गोवा	बैंगलूरू	401	12,365.78	नहीं दिया

9. केरल	कोच्चि	87	उपलब्ध नहीं	छह महीने के लिए 58 महीने
10. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	लखनऊ, कानपुर	30	उपलब्ध नहीं	नहीं दिया
11. राजस्थान	जयपुर	539	उपलब्ध नहीं	नहीं दिया
12. ओडिशा	भुवनेश्वर	26	उपलब्ध नहीं	दो से ग्यारह महीने
13. महाराष्ट्र	मुंबई-I	1,412	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	जोड़	**6,172**		

सीआईटी (लेखापरीक्षा) हैदराबाद प्रभार, में लेखापरीक्षा को 2010-11 से 2013-14 के दौरान 2,328 लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए सीआईओ (लेखापरीक्षा) और एओ/प्रशासनिक सीआईटी के बीच अन्तर्विभागीय बैठकों/चर्चा से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। चूंकि सीआईटी (लेखापरीक्षा) और प्रशासनिक सीआईटी के बीच अनिवार्य मालिक चर्चा/बैठकें नहीं हुई थीं, अनियमित अनुवर्ती कार्रवाई ने आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के लम्बन में वृद्धि में योगदान दिया।

हैदराबाद प्रभार, आइटीओ (मु.) ने बताया (दिसम्बर 2014) कि गैर स्वीकृत पैरा और आपत्तियों के निपटान के लिए उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब के संबंध में बैठकें/चर्चाएं सामान्यतया प्रशासनिक सीआईटी के साथ नहीं की जाती है क्योंकि उनके साथ नियमित लिखित पत्राचार होता है। उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्ति के तीव्र निपटान के लिए दिए गए निर्देशों में अनिवार्य उच्च स्तरिय बैठकें नहीं होती थीं।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए केन्द्रीय कार्रवाई योजना लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए समय सीमा प्रदान करती हैं और उसकी मानीटरिंग आवधिक रूप से की जाती है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यद्यपि केन्द्रीय कार्रवाई योजना समय सीमा और आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए लक्ष्य प्रदान करती हैं, हमने लेखापरीक्षा आपत्तियों के जारी होन के बाद एओ से पहली प्रतिक्रिया की प्राप्ति में विलम्ब के मामले पाए जिससे उनके निपटान में और विलम्ब हुए जैसाकि ऊपर दिया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित समय सीमा में आपत्तियों के निपटान के लिए अनुसरण की कमी थी।

3.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान

हमने 10 क्षेत्रों में 1,640 मामले पाए जहां लेखापरीक्षा ज्ञापन की प्रापति के 4 महीने में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी नहीं की गई थी जैसा कि लेखापरीक्षा नियमावली 2011 में निर्धारित है, जैसा नीचे तालिका 3.3 में दर्शाया गया हैं।

तालिका 3.3 सुधारात्मक कार्रवाई की समाप्ति में विलम्ब

(₹ लाख में)

प्र.सीसीआईओ/ सीसीआईओ	सीआईटी (लेखापरीक्षा)	मामले	मुद्रा मूल्य	विलम्ब की अवधि
1. आंध्र प्रदेश और तेंलगाना	हैदराबाद	23	1,040.07	17 महीने से 56 महीने
2. बिहार एवं झारखंड	पटना	105	उपलब्ध नहीं	नहीं दिया गया
3. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	भोपाल	280	उपलब्ध नहीं	नहीं दिया गया
4. दिल्ली	दिल्ली I और II	51	1,55,548.25	1 माह 10 दिन से 60 महीने 5 दिन
5. गुजरात	अहमदाबाद	30	361.12	1 महीने से 20 दिन से 43 महीने 28 दिन
6. पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़	चंडीगढ़	457	उपलब्ध नहीं	10 दिनों से 49 महीने
7. केरल	कोच्चि	120	उपलब्ध नहीं	6 से 41 महीने
8. ओडिशा	भुवनेश्वर	40	उपलब्ध नहीं	11 महीनों से 37 महीने
9. राजस्थान	जयपुर	421	उपलब्ध नहीं	दिया नहीं गया
10. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	लखनऊ, कानपुर	113	उपलब्ध नहीं	दिया नहीं गया
	जोड़	**1,640**		

मंत्रालया ने बताया (जून 2015) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए केन्द्रीय कार्रवाई योना लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान हेतु एक समयसीमा प्रदान करती है और इसे आवधिक रूप से मानीटर किया जाता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यद्यपि केन्द्रीय कार्रवाई योजना समय सीमा और आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए लक्ष्य प्रदान करती हैं, हमने पाया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की समाप्ति में विलम्ब के मामले पाए गए।

उदाहरणार्थ, अहमदाबाद प्रभार, सीआई (लेखापरीक्षा) में आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की नमूना जाँच से पता चला कि 224 लेखापरीक्षा आपत्तियां सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ न करने (88), सुधारात्मक कार्रवाई समाप्त न करने (82), सुधारात्मक कार्रवाइ की समाप्ति के बाद प्रतिक्रिया की प्राप्ति में विलम्ब (30), और निर्धारिण एक ओर रखने के कारण या लम्बित पुन: निर्धारण/अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण के अभाव में (24) लम्बित थीं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां उचित उत्तर या सुधारात्मक कार्रवाई की समाप्ति के बिना निपटाई गई थीं।

3.7 *उचित उत्तर या सुधारात्मक कार्रवाई की समाप्ति के बिना निपटाई गई आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां*

आन्तरिक लेखापरीखा आपत्तियां संतोषजनक उत्तर की प्राप्ति या एओज़ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता के बाद समाप्त की जानी अपेक्षित हैं। हमने छ: क्षेत्रों मे ₹ 13,409.83 लाख के कर प्रभार वाले 73 मामले पाए जैसा कि नीचे तालिका 3.4 में दिया गया है, जहां आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान बिना उचित उत्तर या संशोधन के किया गया था।

तालिका 3.4 बिना उचित उत्तर/कार्रवाई के निपटाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों

(₹ लाख में)

प्र.सीसीआईअी/ सीसीआईअी क्षेत्र	सीआईटी (लेखापरीक्षा)	मामले	मुद्रा मूल्य	तरीका जिसमें निपटान किया गया
1. आंध्र प्रदेश और तेंलगाना	हैदराबाद	9	128.67	की गई संशोधनात्मक कार्रवाई का विवरण दर्ज किए बिना
2. दिल्ली	दिल्ली I और II	8	12,056.43	धारा 148 के तहत नोटिस के आधार पर, धारा 147/154 के तहत संशोधनात्मक आदेश के लिए प्रतीक्षा किए बिना
3. पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	चंडीगढ़	22	उपलब्ध नहीं	धारा 148 के तहत प्रांरभ की गई कार्रवाई के आधार पर
4. कर्नाटका और गोवा	बैंगलूरू	17	818.08	निर्धारण यूनिटों से अन्तिम अनुपालन की प्राप्ति के पूर्व
5. महाराष्ट्र	मुंबई II	15	339.35	सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की सूचना की प्राप्ति से पूर्व गलत तरीके से
6. तमिलनाडु	चेन्नई	2	67.30	गलत तरीके से
	जोड़	**73**	**13,409.83**	

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि, जैसा कि संबंधित सीसीआईटी द्वारा सूचना दी गई थीं, आन्तरिक लेखापरीक्षा का निपटान उचित उत्तर और संवीक्षा के आधार पर किया गया है।

लेखापरीक्षा का मत हैं कि सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण और आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान का आधार नियंत्रण रजिस्टरों में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जा सकता हैं क्योंकि लेखापरीक्षा में कुछ मामले पाए गए थे जहां आपत्तियों का निर्धारण यूनिटों से अन्तिम अनुपालन की प्राप्ति से पूर्व निपटान किया गया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा ने निर्धारित समय के अन्दर सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जिसके कारण मामले समयबाधित होने से राजस्व की हानि हुई।

3.8 समयबाधित मामले

अधिनियम समय सीमा के आधार पर निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद मामले को दोबार खोलने का प्रावधान नहीं करता। हमने पाया कि 8 क्षेत्रों में ₹ 39,265.32 लाख के कर प्रभाव वाले 1,553 मामले निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ न करने के कारण समय बाधित हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई, जैसा कि नीचे तालिका 3.5 में दिया गया हैं।

कोलकाता प्रभार आईटीओ (मु.) I ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि सीआईओ (लेखापरीक्षा) द्वारा एओज से निर्धारित की गई कार्रवाई की प्राप्ति न होने के कारण निपटान लम्बित पड़ा रहा। लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुसरण न करने के संबंध में, यह कहा गया था कि श्रमबल की कमी के कारण लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान की मानटिरिंग नहीं की जा सकी।

तालिका 3.5 समय बाधित मामले

(₹ लाख में)

प्र.सीसीआईओ/सीसीआईओ	सीआईटी (लेखापरीक्षा)	मामले	राशि
1. आंध्र प्रदेश और तेंलगाना	हैदराबाद	481	10,342.86
2. एनईआर (असम)	गुवाहाटी	16	466.80
3. पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़	चंडीगढ़	07	66.98
4. कर्नाटक और गोवा	बैंगलूरू	163	5,008.30
5. केरल	कोच्चि	1	14.17
6. महाराष्ट्र	मुंबई I, II, पुणे	804	22,603.00
7. ओडिशा	भुवनेश्वर	1	उपलब.ध नहीं
8. पश्चिम बंगाल	कोलकाता I और II	80	763.21
		1,553	**39,265.32**

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि आनतरिक लेखापरीक्षा आपत्ति केन्द्रीय कार्रवाई योजना का भाग है और इसकी आवधिक रूप से मानीटरिंग की जाती है। सुधारात्मक कार्रवाई करने में विलम्ब के मामले हैं। तथापि, रिपोर्ट के अनुसार कोई सुधारात्मक कार्रवाई सीमा द्वारा बाधित नहीं हुई हैं।

तथापि, हमने ऐसे मामले पाए जहां आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां समयबाधित हो गई थीं। इसके अलावा आन्तरिक लेखापरीक्षा की निष्पादन

रिपोर्टों में निपटान के लिए लम्बित आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का अवधि-वार विश्लेषण नहीं था।

आयकर विभाग ने आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रगति पर नजर रखने के लिए न तो नियंत्रण रजिस्टरों का अनुरक्षण किया और न ही निर्धारित प्रारूप का।

3.9 नियंत्रण रजिस्टरों का अनुरक्षण

कई नियंत्रण रजिस्टर लेखापरीक्षा के कार्यक्रम के प्रबंधन, निगरानी, मानीटरिंग और नियंत्रण लेखापरीक्षा योग्य मामलों के चयन, लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जारी और उनके निपटान हेतु निर्धारित किए गए हैं।

हमने आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़ हरियाणा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब एवं यूटी चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में सीआई (लेखापरीक्षा) प्रभारों में पाया कि निर्धारित नियंत्रण रजिस्टरों का या तो अनुरक्षण नहीं या अधूरा अनुरक्षण किया जा रहा था। महाराष्ट्र प्रभार में एओज़ द्वारा प्रस्तुत सूचना और आंतरिक लेखापरीक्षा रजिस्टर से प्राप्त आंकडों में 439 आपत्तियों का अन्तर पाया गया था। चूंकि यह रजिस्टर आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की स्थिति और विवरण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रक थे, उनका अनुरक्षण न करना या अनुचित अनुरक्षण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया की मानीटरिंग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

कोच्ची, सीआईटी (लेखापरीक्षा) में अनुरक्षित रजिस्टर/रिकार्ड अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पर्याप्त नहीं थे। उठाई गई और निपटाई गई आपत्तियों का रजिस्टर वि. व. 2011-12 से 2013-14 के लिए निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित नहीं था। सीआईटी (लेखापरीक्षा) ने कहा (अक्टूबर 2014) कि उठाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का रजिस्टर सिस्टम में अनुरक्षित था और तकनीकी समस्याओं के कारण सिस्टम में सभी फाइलें नष्ट हो गई थी और उन्हें वापिस प्राप्त नहीं किया जा सका। उत्तर में यह भी बताया गया कि निपटाई गई आपत्तियों का एक अलग रजिस्टर भौतिक रूप से अनुरक्षित किया गया था। उन प्रभारों में जहाँ कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड का अनुरक्षण किया जाता है, में बैक अप तंत्र के साथ मानीटरिंग की दस्तावेजी विधि सुनिश्चित की जा सकती है ताकि महत्वपूर्ण डाटा को हानि से बचा या जा सके।

निर्धारण यूनिटों और जेसीआईटी के कार्यालयों में अनुरक्षित रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं थे। आयकर विभाग का उत्तर कि रजिस्टरों को सिस्टम में अनुरक्षित किया जाता था स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि नियमावली के पैरा 1.5

और 2007 के निर्देश सं. 3 के पैरा IV (4) (ii) रजिस्टरों के हाथ से अनुरक्षण का प्रावधान करते हैं। सीआईटी (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में डाटा की हानि बैंक-अप डाटा के अनुरक्षण की आवश्यकता की ओर इंगित करती हैं।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि नियंत्रण रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जा रहा है जिनकी डीआईटी (लेखापरीक्षा) के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान आवधिक रूप से जांच की जाती है। यह कहा गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसे छः निरीक्षण किए गए थे और कुछ प्रभारों में नियंत्रण रजिस्टरों के अनुरक्षण में त्रुटियां पाई गई थीं। आगे यह कहा गया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जैसा लेखापरीक्षा नियमावली में निर्धारित है सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा डीआईटी (लेखापरीक्षा) को तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे।

3.10 आन्तरिक लेखापरीक्षा से संबंधित आवधिक रिपोर्टें और रिटर्न प्रस्तुत करना

लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 के पैरा 7.6 के अनुसार प्रभावी मानीटरिंग के लिए लेखापरीक्षा योग्य मामलों के कुल कार्यभार, उठाई गई आपत्ति की संख्या, कर प्रभाव और लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के बारे में जानने के लिए एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट और लेखापरीक्षा विंग के निष्पादन के संबंध में एक वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीआईटी (ए) द्वारा डीआईटी(ए) को तिमाही के बाद के महीने की 20 तक और अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक क्रमशः 'लेखापरीक्षा विवरण सं. 1' और 'लेखापरीक्षा विवरण सं. 3' प्रोफार्मा में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। हमने आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा अनुरक्षित रिटर्न/रिपोर्टों में कमियां पायी जैसा नीचे दिया गया है:

क. कोच्ची प्रभार, सीआईटी (लेखापरीक्षा) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा नियमावली के अनुसार लेखापरीक्षा विंग के निष्पादन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षा विवरण सं. III में प्रस्तुत नहीं की गई थी।

ख. उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड क्षेत्रों के कानुपर और लखनऊ प्रभार सीआईअी (लेखापरीक्षा) मे रजिस्टरों/क्यूपीआर में दर्ज 47,884 मामलों के प्रति डीआईटी (दिल्ली) को लेखापरीक्षित के रूप में 58,016 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही 10 एआईपी ने संबंधित सीआईअी (लेखापरीक्षा) को आगे आयकर निदेशालय (लेखापरीक्षा) दिल्ली को आगे भिजवाने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)

तैयार और प्रस्तुत नहीं की थी। क्यूपीआर के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा किए गए वास्तविक मामले उठाई गई आपत्ति और उनके निपटान की मानीटरिंग नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा नियमावली 2011 के अनुसार, प्रत्येक सीआईओ (लेखापरीक्षा) द्वारा डीआईटी (लेखापरीक्षा) नई दिल्ली को तिमाही के बाद के महीने की 20 तक तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। हमने रिपोर्टों और रिटर्न के मध्यम से मानीटरिंग मे कमियां पायीं जैसा नीचे दिया गया हैं।

ग. सीआईटी (लेखापरीक्षा) भोपाल प्रभार में, नई दिल्ली डीआईटी (लेखापरीक्षा) को समय से क्यूपीआर प्रस्तुत नहीं की जा रही थी और विलम्ब 04 से 32 दिनों के बीच के थे। वि. व. 2012-13 के आदि शेष और अन्त शेष के आंकडे मेल नहीं खाते थे। जून 2013, दिसम्बर 2013 और मार्च 2014 को समाप्त तिमाही के लिए डीआईटी (लेखापरीक्षा) दिल्ली को बताई गई लम्बित प्राप्ति लेखापरीक्षा आपत्तियां भी आपस में मेल नहीं खाती थी। मासिक प्रगति रिपोर्ट के डीओ जिन्हें सीसीआईटी (सीसीए) के अगले महीने की 5 तक प्रस्तुत करना आवश्यक है को भी समय से नहीं भेजा गया ओर विलम्ब 6 से 23 दिनों के बीच के थे।

घ. आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रभार में, लेखापरीक्षा नियमावली 2011 के नियम 7.6(ख) के अनुसार सीआईटी द्वारा डीआईटी को लेखापरीक्षा विवरण सं. III में आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई थी। गुजरात और राजस्थान में ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और डीआईटी (लेखापरीक्षा) को नहीं भेजी गई।

ङ. गुजरात और राजस्थान प्रभार में 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक डीआईटी (लेखापरीक्षा) को भेजी जाने वाली सामान्य त्रुटियों पर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी। राजस्थान प्रभार में, डीआईटी (लेखापरीक्षा) को सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा महत्वपूर्ण आपत्तियों पर डीआईटी (लेखापरीक्षा) को तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।

च. राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना प्रभार में, सीबीडीटी निर्देश सं. 15/2013 के पैरा 3.1 (V) के अनुसार सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सीसीआईटी (सीसीए) को प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों से संबंधित सूची "जहां आन्तरिक लेखापरीक्षा प्राप्ति लेखापरीक्षा द्वारा बाद में बताई गई त्रुटियों को बताने में विफल रहा था" और 2006 के निर्देश सं. 9 के पैरा 7.6 के अनुसार गलती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई पर सीसीआईटी (सीसीए) को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि तिमाही रिपोर्टों और वार्षिक विवरणों के विलम्ब का मामला संबंधित अधिकारियों द्वारा आरकर निदेशालय (लेखापरीक्षा) और जोनल सदस्यों के साथ पहले से ही उठाया गया हैं।

आपत्तियों के तीव्र निपटान के लिए सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रशासनिक प्रमुख के साथ नियमित बैठकें नहीं की जा रही थीं।

3.11 मासिक बैठकों के माध्यम से निपटान हेतु लेखापरीक्षा आपत्तियों का अनुपालन

लम्बित आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुकरण और निपटान के लिए बैठकें और चर्चाए प्रभावी कदम हैं। 2013 की निर्देश सं. 15 के अनुसार सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रत्येक प्रशासनिक कमिश्नरों के साथ आपत्तियो के निपटान की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक मासिक बैठक करेगा।

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में वि. व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए एओज/प्रशासनिक सीआईटी के साथ सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा ऐसी किसी बैठक/चर्चा से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। चेन्नई में आपत्ति के निपटान के लिए प्रशासनिक सीआईअी के साथ आवधिक बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं।

सीआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रशासनिक सीआईटी के साथ निर्धारित मासिक चर्चा/बैठकें आयोजित न करने से आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के लम्बन ने प्रतिकूल रूप से योगदान दिया जैसा अध्याय 4 में विस्तृत रूप से दिया गया हैं।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि लेखापरीक्षा के लिए केन्द्रीय कार्रवाई योजना लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान हेतु समयसीमा प्रदान करता है और इसकी मॉनिटरिंग आवधिक रूप से की जाती है। आगे यह कहा गया कि वर्ष 2015 की पहली तिमाही के लिए केन्द्रीय कार्रवाई योजना ने आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए बैठके आयोजित करने के लिए केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग से संबंधित मामलों को सम्बोधित किया था।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कुछ सीआईटी (लेखापरीक्षा) में आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा का मत है कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान आयोजित बैठकें, यदि कोई हों तों, के संबंध में हमने दस्तावेजी साक्ष्यों का अभाव पाया।

3.12 निष्कर्ष

यह अध्याय आन्तरिक लेखापरीक्षा संचार, रिपोर्टिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई की चर्चा करता है। इसमें लेखापरीक्षा ज्ञापनों तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टो को समय पर जारी करना तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का शीघ्र निपटान करना सम्मिलित है। हमने पाया कि छः सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में आन्तरिक लेखापरीक्षा ज्ञापन समय पर जारी नहीं किए गए थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टो को 15 क्षेत्रों में समयबद्ध तरीके से प्रशासनिक सीआईटी को जारी करने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। उपचारात्मक कार्रवाई तथा अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 11 सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियाँ समय बाधित हुई। आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुवर्ती कार्रवाई तथा निपटान के लिए अन्तर विभागीय बैठके आयोजित नहीं की गई थी।

3.13 सिफारिश

हम सिफारिश करते है कि

क. सीबीडीटी प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्ति तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के समय पर जारी होने का ध्यान रखने के लिए केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग तत्रं प्रारम्भ करने पर विचार करें।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि मॉनीटरिंग तथा प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रणालियां पहले से ही विद्यमान है। राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर

आवधिक रूप से निष्पादन को प्रधान सीसीआईटी (सीसीए) तथा डीआईटी (लेखापरीक्षा) मॉनीटर करते है।

लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा नियमावली 2011 में जारी होने के लिए निर्धारित आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टो के मामले पर नजर रखने के लिए केन्द्रीकृत मॉनीटरिंग तंत्र प्रारम्भ करने की सिफारिश की। आन्तरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विलम्ब से जारी होना तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टो का जारी न होना चिन्ता का विषय है जो अन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता को प्रभावित करता है।

ख. सीबीडीटी वार्षिक कार्य योजना के रूप में तथा नियमित आधार पर इसे मॉनीटर करने के लिए आपत्तियों के निपटान तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अन्तर विभागीय बैठक करने पर विचार करें।

मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि आपत्तियों के निपटान तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अन्तर विभागीय बैठक को 2015-16 की प्रथम तिमाही की केन्द्रीय कार्य योजना के रूप में बनाया गया है।